(35)

7-9-18
13/9/18

**FORM NO III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्रीमती किरण कंवर पत्नि श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी पाण्डरवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

वादिया/प्रार्थीया

**बनाम**

1. श्री जीवण सिंह पुत्र श्री हरि सिंह (मृतक) जरिये वारिसान

1/1 भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री जीवण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाण्डरवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

नंबर ...90... /2018

ऑन लाईन नंबर 2018/000....

वकील प्रार्थीया श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण ......................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.04.2018 | यह प्रार्थना पत्र वादिया/प्रार्थीया की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् वादिया/प्रार्थीया के विरूद्ध दिनांक 27.02.2018 को की गयी एक पक्षीय कार्यवाही को न्याय हित में अपास्त किया जाकर राजस्व प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादिया/प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 11/5/18 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>किशनगढ़ (अजमेर) | |
| | 11/5/18 ... पत्रावली ... पेश ... 2018 ... दिनांक 11.5.18 ... वादी/प्रतिवादी/उप./अनु./प्रकरण के पक्षकारान को लोक अदालत ... हेतु प्रेरित किया ... बाबत राहजति ... में कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 18/7/18 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>किशनगढ़<br><br>5/7/18 ... पक्षकारान को ... दिनांक 11/10/18 ... पर पेश ...<br>उपखण्ड अधिकारी<br>किशनगढ़ | 18/7/18 |

तारीख या फर्द
अहदकाम
इस हुक्म
जाहिर हुये को ज्ञ...

15/7/25 पत्रावली पेश हुई आज पीठा सिन्हा (?)
.................. की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/25 को
पेश हो।

4/7/25 पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित।
P.O. साहब ... /अवकाश
पर रहे। पत्रावली पूर्व ... अनुसार ..........
दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

22/8/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। उक्त प्रकरण में
वकील वादी द्वारा संशोधित याचिका पेश करने हेतु उपरान्त
बार-बार 6 बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
तलबी 47/51 व 47/52 नहीं कराई गई है। अत:
प्रकरण अदम तामील/अदम पैरवी खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)